



क.रा.बी.नि.  
E S I C

कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(धर्म एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES STATE INSURANCE  
CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of  
India)



क्षेत्रीय कार्यालय, 107, राम नगर रोड,  
कोटा, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492010  
REGIONAL OFFICE, 107, RAM NAGAR ROAD,  
KOTA,  
RAIPUR (CHHATTISGARH) 492010  
Phone: 0771-2254589, Email: rd-  
cgarh@esic.nic.in  
Website: www.esic.nic.in/www.esic.in

No-59-U/17/13/08/2019-mIMP

दिनांक: 23-05-2025

प्रति,

शाखा अधिकारी(सामान्य शाखा),  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
क.रा. बी. निगम, रायपुर।

विषय : छत्तीसगढ़ क्षेत्र के आंशिक व्याप्त एवं अव्याप्त जिलों में Modified Insurance Practitioner (mIMP) में योजना के तहत Doctor(Allopathic), Chemist एवं Diagnostic Centre को ESI योजना के तहत Empanel करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत चिकित्सा शाखा के समसंख्यक पत्र दिनांक 02/05/2025 के सन्दर्भ सूचित करना है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विभिन्न आंशिक व्याप्त जिलों एवं अव्याप्त जिलों में Modified Insurance Practitioner(mIMP) में योजना के तहत Doctor(Allopathic), Chemist एवं Diagnostic Centre को ESI योजना के तहत Empanel किया जाना है, जिसके लिए कुछ ही जिलों से आवेदन प्राप्त हुआ है। अतः आवेदन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जाना है।

EOI आवेदन आमंत्रित करने बाबत विज्ञापन नोटिस की प्रति संलग्न है। उक्त आवेदन दिनांक 26.05.2025 से स्वीकार किये जाने हैं। कृपया यह विज्ञापन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले 04 दैनिक हिंदी अखबारों (दैनिक भास्कर, नव-भारत, हरि-भूमि, पत्रिका) में दिनांक 24.05.2025 तक प्रकाशित करवाने की कृपा करें।

संलग्न: उपरोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by  
SHWETA MISHRA

Date: 23-05-2025

17:05:14 (श्वेता मिश्रा)

राज्य चिकित्सा अधिकारी

प्रतिलिपि : वेबसाइट कंटेंट मैनेजर, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा. बी. निगम, रायपुर से निवेदन है कि उक्त विज्ञापन नोटिस एवं EOI दस्तावेज वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

एलोपैथिक डॉक्टर, केमिस्ट एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए ESI योजना से जुड़ने का सुनहरा अवसर

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र के निम्न जिलों में Modified Insurance Medical Practitioner (mIMP) योजना के तहत Doctor (Allopathic), Chemist एवं Diagnostic Centre Empanel करने हेतु Online आवेदन कर सकते हैं जिनके माध्यम से दर्शये गए जिलों में बीमित व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना है। नियमानुसार Empanelment हेतु ऑनलाइन आवेदन [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in) पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित है:-

mIMP योजना के तहत आवश्यकता	जिला का नाम	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
mIMP	Balod, Sukma, Balrampur, Narayanpur, Surajpur, Bijapur, Dantewada, Manedragarh-Chirmiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>अस्पताल/क्लिनिक के पंजीयन सम्बंधित दस्तावेज</li> <li>डॉक्टर की डिग्री (Minimum MBBS)/ मार्कशीट/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट</li> <li>डॉक्टर के आधार/PAN</li> </ul>
eChemist	Bastar, Jashpur, Kanker, Koriya, Mahasamund, Mungeli, Bemetara, Balrampur, Narayanpur, Surajpur, Dantewada, Manedragarh-Chirmiri, Bijapur	<ul style="list-style-type: none"> <li>संस्थान का पंजीयन सर्टिफिकेट</li> <li>फॉर्म 20-21</li> <li>ड्रग लाइसेंस</li> <li>आवेदक संस्थान में नियुक्त फार्मासिस्ट की डिग्री/ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं नियुक्ति पत्र</li> </ul>
eDiagnostic	Balod, Jashpur, Kanker, Koriya, Sukma, Mungeli, Bemetara, Balrampur, Kabirdham, Narayanpur, Surajpur, Bijapur, Dantewada, Kondagaon, Manedragarh-Chirmiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>संस्थान का पंजीयन सर्टिफिकेट</li> <li>उपलब्ध जांचों की सूची एवं दर</li> <li>विभिन्न प्राप्त लाइसेंस/सर्टिफिकेट</li> <li>आधार/PAN/GST</li> <li>Pathalogist की डिग्री सर्टिफिकेट एवं नियुक्ति सम्बंधित दस्तावेज</li> <li>Radiology/ Sonography से सम्बंधित समस्त</li> </ul>

करने हेतु प्राप्त

		दस्तावेज(Radiologist की डिग्री एवं registration)
--	--	--

इच्छुक आवेदक [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in)--->Health Services---> Apply under mlMP Scheme के ऑनलाइन लिंक पर दिनांक 26/05/2025 से 01/06/2025 तक आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी हेतु दुरभाष संख्या-0771-2253689 में क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, रायपुर (छ.ग) पर संपर्क किया जा सकता है।

आवेदन के अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्षेत्रीय निदेशक